म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क0/नि0/भूमि/संरचना/आवंटन/2015–16/1572 भोपाल, दिनांकः 03/05/16

परिपत्र

विषयः–प्रदेश की मंडी समितियों, उपमंडी तथा फल–सब्जी मंडियों में निजी व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा स्वयं के व्यय पर बिल्ट, ऑपरेट एंड ट्रासंफर(बी.ओ.टी.) आधार पर स्थापना एवं संचालन करने बाबत् दिशा–निर्देश।

मध्य प्रदेश कृषि उपज मण्डी (भूमि एवं संरचना आवंटन) विनियम–2009 के अनुसार बी.ओ.टी.(निर्माण, परिवर्धन एवं अंतरण) स्कीम के अधीन सन्निर्मित की जानेवाली संरचनाओं के लिए इन नियमों से छूट प्रदान की गई है। ऐसी संरचनाओं की अनुज्ञप्ति तथा करार के निबंधन एवं शर्तो के निर्धारण मंडी समिति द्वारा प्रबंध संचालक के पूर्व अनुमोदन से किया जावेगा। इन संरचनाओं के लिए उक्त प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :–

1. विभिन्न प्रकार के विशिष्ट प्रयोजनों के लिए मण्डी समिति, ऐसी संरचनाओं की आवश्यकता एवं औचित्यता का निर्धारण करेंगी तथा उक्त संबंध में प्रस्ताव मण्डी समिति के सम्मेलन में पारित किया जावेगा।

2. उक्त पारित प्रस्ताव के पश्चात सचिव, मण्डी समिति एवं कार्यपालन यंत्री, तकनीकी संभाग संयुक्त रूप से संरचना के निर्माण के लिए मंडी के वर्तमान ले–आउट को दृष्टिगत रखते हुए, स्थल का चयन कर ले–आउट में स्थान चिन्हित कर, संरचना के लिए आवश्यकतानुसार भूखण्ड का क्षेत्रफल निर्धारण करेगें।

3. ऐसी संरचनाओं के लिए भूखण्ड का आवंटन कलेक्टर द्वारा निर्धारित वार्षिक किराया दर पर किया जावेगा। यदि आवंटन अवधि में कलेक्टर द्वारा निर्धारित किराया में वृद्धि होती है तो वह इन संरचनाओं पर लागू होगी।

4. ऐसी संरचनाओं की बी.ओ.टी. की अवधि, उनकी निर्माण लागत, वार्षिक प्रीमियम, भूखण्ड किराया दर एवं उससे प्रतिवर्ष होने वाली **संभावित** आय को दृष्टिगत रखते हुए मण्डी समिति द्वारा न्यूनतम 20 वर्ष एवं अधिकतम 33 वर्ष की अवधि निर्धारित किया जा सकेगा।

5. ऐसी निर्मित होनेवाली संरचनाओं के लिए मंडी क्षेत्र में इसकी उपयोगिता एवं औचित्य को दृष्टिगत रखते हुए न्यूनतम वार्षिक प्रीमियम का निर्धारण, मण्डी बोर्ड आंचलिक

निरन्तर –2/–

कार्यालय के संयुक्त संचालक/उपसंचालक, तकनीकी संभाग के कार्यपालन यंत्री तथा मण्डी समिति के सचिव के द्वारा संयुक्त रूप से किया जावेगा, जो भूमि की आरक्षित कीमत से 5 प्रतिशत से कम नहीं होगा, जिसका प्रस्ताव मण्डी समिति की बैठक में रखा जावेगा।

6. उपरोक्तानुसार स्थल चयन, भूखण्ड आवंटन की अवधि, भूखण्ड किराया तथा न्यूनतम प्रीमियम निर्धारण के पश्चात मण्डी समिति आफर आमंत्रित करने की तारीख से कम से कम 21 दिवस पूर्व एक प्रमुख राज्य स्तरीय समाचार पत्र एवं एक स्थानीय समाचार पत्र में वार्षिक प्रीमियम राशि का ऑफर (ई–निविदा) आमंत्रित करने के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन करायेगी। निविदा विज्ञप्ति में आवंटित की जानेवाली भूमि की जानकारी, संरचना की विशिष्ठता, संविदा की तारीख, समय एवं प्रमुख निबंधन एवं शर्तो का उल्लेख किया जावेगा।(निविदा आमंत्रण का प्रारूप एवं निबंधन की शर्तो का सामान्य प्रारूप संलग्न है।)

7. बी.ओ.टी. से संरचनाओं की निर्माण के लिए निविदा में भाग लेने हेतु निविदाकार द्वारा '' भूमि की आरक्षित कीमत'' का 10 प्रतिशत की राशि का अग्रिम डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा एक मुश्त जमा किया जावेगा, जिसका उल्लेख निविदा विज्ञप्ति में होगा।

8- ऐसी संरचनाओं के निविदाओं को खोलने तथा परीक्षण करने तथा उसके आधार पर अनुशंसा करने के लिए निम्नानुसार समिति गठित जावेगी :–

1. अध्यक्ष, संबंधित मण्डी समिति/भारसाधक अधिकारी
2. कलेक्टर द्वारा नामांकित अधिकारी जो डिप्टी कलेक्टर की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो।
3. संयुक्त संचालक/उपसंचालक,मण्डी बोर्ड,आंचलिक कार्यालय।
4. कार्यपालन यंत्री, मण्डी बोर्ड, तकनीकी संभाग ।
5. सचिव, मण्डी समिति ।

मण्डी समिति के अध्यक्ष/भारसाधक अधिकारी की अनुपस्थिति में समिति की अध्यक्षता कलेक्टर द्वारा नामांकित प्रतिनिधि द्वारा की जावेगी तथा उनकी अनुपस्थिति में आंचलिक कार्यालय के संयुक्त संचालक/उप संचालक सम्मेलन की अध्यक्षता करेगें।

9. समिति की बैठक के लिए कम से कम तीन सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी, अन्यथा समिति की कार्यवाही स्थगित कर दी जावेगी।

10. प्रथम उच्चतम आफर वाला निविदाकार की धरोहर राशि को छोडकर अन्य निविदाकारों की धरोहर राशि वापिस कर दी जावेगी।

निरन्तर–3/

11. निविदाओं की समीक्षा समिति द्वारा किये जाने के उपरांत 10 दिवस के भीतर प्रकरण में विनिश्चय के लिए मण्डी समिति द्वारा उच्चतम वार्षिक प्रीमियम वाली निविदा दर के लिए स्वीकृति तभी दी जावेगी जब वह निर्धारित न्यूनतम प्रीमियम से अधिक हो। अन्यथा अस्वीकृत की जाकर पुनः निविदाएं आमंत्रित की जा सकेगी।

12. सफल निविदाकार जिसकी निविदा दर मान्य की गयी है, उसे 30 दिवस के भीतर एक वार्षिक प्रीमियम राशि के बराबर निक्षेप की राशि जमा करने एवं अनुबंध संपादन की कार्यवाही हेतु सूचित किया जावेगा।

13. यदि प्रथम सफल निविदाकार द्वारा विहित समयावधि में निक्षेप की राशि जमा कर अनुबंध की कार्यवाही संपादित नहीं की जाती है तो उसकी जमा अग्रिम राशि राजसात की जाकर, पुनः निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जावेगी।

14 सफल निविदाकार की वार्षिक प्रीमियम स्वीकृत होने के उपरांत मण्डी समिति अनुबंध के निष्पादन हेतु प्रारूप दिया जावेगा, जिसे वह 15 दिवस के भीतर निष्पादित कर एक प्रति मण्डी समिति के कार्यालय में जमा करायी जावेगी तथा संरचना के संचालन के लिए निर्धारित अवधि तक के लिए अनुज्ञप्ति जारी की जावेगी।

15. उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने के पश्चात मण्डी समिति द्वारा संबंधित बी.ओ.टी. संचालक को भूमि हस्तांतरित की जावेगी, जिस पर वह शासन एवं बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार संरचना का निर्माण एवं संचालन करेगा।

16. संरचना के निर्माण/संचालन में मण्डी के कार्य प्रभावित न हो तथा संरचना का निर्माण निर्धारित नियमों/मानकों के अनुरूप पूर्ण हो, संबंधित तकनीकी संभाग के कार्यपालन यंत्री सुनिश्चित करेगें तथा समय–समय पर पर्यवेक्षण भी करेगें। आवश्यकता पडने पर बी.ओ.टी. संचालक को लिखित में निर्देशित करेगें।

17. बी.ओ.टी. संचालक द्वारा संरचना का संचालन निर्धारित समयावधि तक किया जावेगा तथा उसका उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जावेगा, जिस प्रयोजन के लिए वह निर्मित किया गया हो।

18. यदि बी.ओ.टी. संचालक संरचना का निर्माण निर्धारित समयावधि में नहीं करता है अथवा बीच में अधूरा छोडकर चला जाता है तो उसकी जमा अग्रिम की राशि तथा निक्षेप की राशि राजसात की जावेगी तथा तत्समय तक निर्मित संरचना तथा मण्डी प्रांगण में उपलब्ध सामग्री को भी राजसात की जाकर पुनः निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जा सकेगी।

निरन्तर —4/—

19. बी.ओ.टी. संचालक द्वारा प्रत्येक वर्ष के अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में भूखण्ड किराया एवं निर्धारित वार्षिक प्रीमियम की राशि का भुगतान अग्रिम के रूप में किया जावेगा। यदि निर्धारित समयावधि में बी.ओ.टी. संचालक द्वारा भुगतान में विलंब किया जाता है तो उस पर 10 प्रतिशत अधिभार अधिरोपित किया जावेगा।

20. निर्मित संरचना के संचालन अवधि में यदि संचालक द्वारा यदि विधिसम्मत तरीके से संचालित नहीं किया जाता है तो उसे स्पष्टीकरण का अवसर प्रदान करते हुए आवश्यक होने पर पेनाल्टी निविदा की शर्तो के अनुरूप अधिरोपित की जावेगी।

21. बी.ओ.टी. संचालक द्वारा संरचना के संचालन में लगातार तीन बार तक नियम विरूद्ध कार्यवाही की जाती है तो मण्डी समिति इस हेतु प्रबंध संचालक को सूचित करेगी एवं प्रबधं संचालक आवश्यक सुनवाई के पश्चात बी.ओ.टी. संचालक की अनुज्ञप्ति निरस्तीकरण एवं संरचना के संचालन के दायित्व से मुक्त करने हेतु निर्णय ले सकेगें।

22. बी.ओ.टी. पद्धति से निर्मित एवं संचालित संरचना के अनुबंध की अवधि 01 वर्ष से अधिक होने से अनुबंध भारतीय स्टाम्प अधिनियम–1899 की अनुसूची 1–क के अनुसार निर्धारित दर से स्टाम्पित करायी जाना अनिवार्य रहेगी। भूखण्ड के बाजार मूल्य का निर्धारण संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा जारी मूल्य निर्देशिका पर आधारित रहेगा। निष्पादित किये जानेवाले अनुबंध में आवंटित भूमि का स्पष्ट विवरण एवं चतुर्सीमाए उल्लेखित की जाना तथा अनुबंध का पंजीयन कराया जाना अनिवार्य रहेगा। उपरोक्तत्त हेतु होनेवाला सम्पूर्ण व्यय आवंटिती द्वारा वहन किया जावेगा।

पूर्व में प्रदेश की मण्डी/उपमंडियों में बी.ओ.टी. आधार पर तौल कांटों की स्थापना के लिए जारी किये गये परिपत्र क0 2627–28 दिनांक 14.12.15 परिशिष्ट–एक के रूप में संलग्न है।

संलग्नः–यथोपरि।

(अरूण पाण्डेय)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी सह
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक / निर्माण / भुमि / संरचना / आवंटन / 2015–16 / 1573 भोपाल,दिनांक 03/05/16

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय कृषि मंत्री एवं अध्यक्ष, मंडी बोर्ड, भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल ।
3. कलेक्टर, जिला– समस्त ।
4. अपर संचालक, (समस्त) मंडी बोर्ड, मुख्यालय भोपाल ।
5. मुख्य अभियंता, मंडी बोर्ड, मुख्यालय भोपाल ।
6. अधीक्षण यंत्री / कार्यपालन यंत्री / निर्माण शाखा मंडी बोर्ड, मुख्यालय भोपाल ।
7. संयुक्त संचालक, (समस्त) मंडी बोर्ड, मुख्यालय भोपाल ।
8. उप संचालक, (समस्त)मंडी बोर्ड, मुख्यालय भोपाल ।
9. संयुक्त संचालक / उप संचालक, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय, (समस्त) की ओर ।
10. कार्यपालन यंत्री, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, तकनीकी संभाग, समस्त की ओर।
11. सचिव, कृषि उपज मंडी समिति, (समस्त) ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी सह आयुक्त सह
प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

"निविदा आमंत्रण सूचना" (समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु)

कृषि उपज मण्डी समिति ..... द्वारा ई–टेण्डरिंग के माध्यम से स्वयं के व्यय पर बिल्ट आपरेट एण्ड ट्रॉसफर (बी.ओ.टी) के तहत संरचना की स्थापना एवं संचालन हेतु वार्षिक प्रीमियम के आधार पर दिनांक..... को ..... तक ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी ऑनलाईन पोर्टल www.mpeproc.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है।

निविदा सिस्टम कमांक	संरचना का नाम एवं स्थान	न्यूनतम वार्षिक प्रीमियम (राशि रू.)	भूमि की आरक्षित कीमत की 10 प्रतिशत राशि

शर्तें :–

1. निविदा के सभी संशोधन ऑनलाईन पोर्टल www.mpeproc.gov.in पर जारी किए जायेगें।

2. निविदा में भाग लेने वाले इच्छूक निविदाकारों को www.mpeproc.gov.in पर पंजीयन कराना होगा।

सचिव
कृषि उपज मंडी समिति
.....जिला.....

भारसाधक अधिकारी/अध्यक्ष
कृषि उपज मंडी समिति
.....जिला.....

"निविदा आमंत्रण सूचना"

कृषि उपज मण्डी समिति ..... द्वारा ई–टेण्डरिंग के माध्यम से स्वयं के व्यय पर बिल्ट आपरेट एण्ड ट्रासफर (बी.ओ.टी) के तहत संरचना की स्थापना एवं संचालन हेतु वार्षिक प्रीमियम के आधार पर दिनांक..... को ..... तक ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी ऑनलाईन पोर्टल www.mpeproc.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है।

निविदा सिस्टम कमांक	संरचना का नाम एवं स्थान	न्यूनतम वार्षिक प्रीमियम (राशि रू.)	भूमि की आरक्षित कीमत की 10 प्रतिशत राशि	निविदा प्रपत्र का कीमत

शर्तें :–

1. निविदा के सभी संशोधन ऑनलाईन पोर्टल www.mpeproc.gov.in पर जारी किए जायेगें।

2. निविदा में भाग लेने वाले इच्छूक निविदाकारों को www.mpeproc.gov.in पर पंजीयन कराना होगा।

3. इस ई–टेण्डरिंग में भाग लेने वाले निविदाकारों को भूमि की आरक्षित कीमत की 10 प्रतिशत राशि रू..... का राष्ट्रीय/शेड्यूल बैंक को एफ.डी.आर. जो सचिव कृषि उपज मण्डी समिति के नाम से देय की मूल प्रति बिड के अन्य दस्तावेजों के साथ दिनांक..... तक सिर्फ पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा प्रस्तुत करना है।

4. ऑनलाईन निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि..... है।

5. नियम व शर्तें निविदा प्रपत्र के अनुसार मान्य होगी।

6. फर्म/संस्था/सहकारी संस्थायें स्वरूप के ऑनलाईन निविदाकार को निम्नलिखित दस्तावेजों की वैद्य स्वप्रमाणित प्रतियॉ प्रस्तुत करना होगीं।
   (अ) Registrations of Firm/ establishment (गुमाश्ता)
   (ब) PAN No.
   (स) ST Registration
   (द) Tax Clearance certificate of previous year
   (ई) Affidavit on Rs.100/- stamp stating that documents submitted Physically/ ONLINE are correct & No close relative.

7. व्यक्तिगत निविदाकार द्वारा कमांक–06 में उल्लेखित दस्तावेज सफल निविदाकार होने पर कार्य प्रारंभ करने के पूर्व मण्डी समिति को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेगा।

8. अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त हुए दस्तावेजों को मान्य नही किया जावेगा। उपरोक्त सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियॉ दिनांक .....तक सिर्फ पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा निम्न पते पर प्रस्तुत करें :–

सचिव,

कृषि उपज मण्डी समिति

.....जिला ..... (म0प्र0)

टेण्डर शेड्यूल

(1) निविदा प्रपत्र क्रय करने की दिनांक.....

(2) निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम दिनांक.....

(3) निविदा बिड submission end date----------

(4) वित्तीय ऑफर खोलने की दिनांक एवं समय.....

सचिव
कृषि उपज मंडी समिति
.....जिला.....

भारसाधक अधिकारी/अध्यक्ष
कृषि उपज मंडी समिति
.....जिला.....

कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति, ..., जिला–..... (म.प्र.)

बी.ओ.टी. आधार पर संरचना की स्थापना एवं संचालन का "निविदा प्रपत्र"

परिशिष्ट–"अ"

1. निविदाकर्त्ता व्यक्ति/फर्म का नाम – .....
2. निविदाकर्त्ता व्यक्ति/फर्म का वाणिज्यिक रजिस्ट्रेसन का प्रकार/ निर्माता/अधिकृत एजेन्ट/ अन्य – .....
3. फर्म का अन्य विवरण व पदाधिकारियों की सूची – .....
4. अन्य जानकारी जो निविदाकर्ता आवश्यक समझे – .....
5. जमा की गयी भूमि की आरक्षित कीमत की 10 प्रतिशत राशि का विवरण – F.D.R. कमांक व बैंक का नाम.....
   दिनांक.....
   राशि रू.....
6. पत्र व्यवहार का पता – .....
   .....
   दूरभाष नंबर..... मो.नं. .....
   ई–मेल आई डी.....

निविदाकर्त्ता फर्म/व्यक्ति के हस्ताक्षर.....
हस्ताक्षरकर्त्ता का नाम.....

कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति, ..., जिला–..... (म.प्र.)

परिशिष्ट–''ब''

मेरे/हमारे द्वारा निविदा की सभी शर्तों को पढ़कर समझ लिया है। मंडी द्वारा प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण कर लिया है । इसके उपरान्त मेरे/ हमारे द्वारा निम्नानुसार अपना वाणिज्यिक प्रस्ताव दिया जाता है । यदि मंडी समिति बी.ओ.टी आधार पर संरचना की स्थापना हेतु मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत करती है तो मै/हम आवंटन हेतु निर्धारित सभी शर्तों का पालन करेंगे । (संलग्न विस्तृत शर्तें)

(1) संरचना का नाम एवं स्थान .....

(2) वार्षिक प्रीमियम की राशि अंको में रू.....

शब्दों में रू.....

दिनांक.....

निविदाकर्त्ता फर्म/व्यक्ति के हस्ताक्षर.....

हस्ताक्षरकर्त्ता का नाम.....

कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति, ..., जिला–.....(म.प्र.)

(मुख्य मंडी प्रांगण/उपमंडी एवं फल-सब्जी मण्डी प्रांगण.....)

बी०ओ०टी० आधार पर संरचना की स्थापना की विस्तृत शर्तें

1. संरचना स्थापित करने के लिए भू–खण्ड का आवंटन किराये पर किया जावेगा तथा आवंटन की अधिकतम अवधि ..... होगी । आवंटित किए जाने वाले भू–खण्ड का आकार ..... मीटर (..... वर्ग मीटर) होगा ।

2. आवंटित किये जाने वाले भू–खण्ड का किराया स्थानीय कलेक्टर द्वारा निर्धारित किया जावेगा। यदि आवंटन अवधि में कलेक्टर द्वारा निर्धारित किराया में वृद्वि होती है तो वह इन संरचना पर लागू होगी।

3. बी.ओ.टी आधार पर संरचना स्थापित करने के लिये व्यक्ति/फर्म/संस्था/सहकारी संस्थाएं पात्र होंगी तथा सफल निविदाकार को "आवंटिती संचालक" कहा जावेगा ।

4. बी.ओ.टी. पद्धति पर स्थापित किये जाने वाली संरचना के संचालन की अनुबंधित अवधि समाप्त होने के पश्चात् आवंटिती संचालक द्वारा संचालन के लिये निर्मित की गई समस्त संरचनाएँ यथावत मंडी समिति को हस्तांतरित की जावेगी । मंडी समिति इस व्यवस्था के हस्तांतरण हेतु किसी प्रकार की कोई राशि का भुगतान नहीं करेगी तथा यह सम्पत्ति मंडी समिति के स्वामित्व की मानी जावेगी ।

5. स्वीकृति पत्र जारी करने के पश्चात 15 कार्य दिवस के अन्दर निविदाकार को निर्धारित प्रपत्र पर अनुबंध करना होगा । अनुबंध की अवधि ..... के लिए प्रभावशील होने से अनुबंध भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची 1–क के अनुसार निर्धारित दर से स्टाम्पित होना अनिवार्य रहेगी। भू–खण्ड के बाजार मूल्य का निर्धारण संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा जारी बाजार मूल्य निर्देशिका पर आधारित रहेगा।निष्पादित किये जाने वाला अनुबंध में भूमि का स्पष्ट विवरण एवं चतुर्सीमाए उल्लेखित की जाना तथा अनुबंध को नोटराईज्ड/पंजीयत कराया जाना अनिवार्य रहेगा। उक्त में व्यय होने वाली सम्पूर्ण राशि आवंटिती द्वारा व्यय की जावेगी।

6. संरचना की स्थापना हेतु आमंत्रित निविदाओं में निविदाकार द्वारा निविदा के साथ भूमि की आरक्षित कीमत की 10 प्रतिशत राशि रू. .....(रू. .....) सचिव कृषि उपज मंडी समिति के नामे राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा शड्यूल बैंक के माध्यम से F.D.R. के रूप में जमा की जावेगी।

7. निविदा सफल होने पर सफल निविदाकार द्वारा अनुबंध के पूर्व एक वार्षिक प्रीमियत के बराबर निक्षेप की जावेगी।

8. परिपत्र की कण्डिका कमांक–07 अन्तर्गत जमा भूमि की आरक्षित कीमत की 10 प्रतिशत राशि सुरक्षा निधि तथा कमांक–12 अन्तर्गत एक वार्षिक प्रीमियम के बराबर निक्षेप की राशि रक्षित पेशगी (secured advance) रूप में मण्डी समिति के पास अनुबंध अवधि तक जमा रहेगी।

9. फर्म/संस्था/सहकारी संस्थायें स्वरूप के निविदाकारों के लिए आयकर विभाग का रजिस्ट्रेशन **(PAN)** तथा सर्विस टैक्स का रजिस्ट्रेशन एवं विगत वर्ष का **टैक्स क्लीयरेंस प्रमाण–पत्र**" संलग्न करना अनिवार्य होगा । **व्यक्तिगत निविदाकार यदि सफल निविदाकार होता है तो उसे कार्य प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार अभिलेख मण्डी समिति को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रतिकूल स्थिति में उसके धरोहर राशि एवं अनुबंध के पूर्व वार्षिक प्रिमियम की जमा राशि राजसात की जाकर पुनः नियमानुसार निविदा की कार्यवाही करने के लिए मण्डी समिति सक्षम रहेगी।**

10. संरचना की स्थापना का कार्य उसके लिए द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार कराया जावेगा।

11. संरचना की स्थापना एवं रख–रखाव तथा विद्युत आदि का सम्पूर्ण व्यय आवंटिती संचालक द्वारा वहन किया जावेगा । इसी प्रकार स्थापित संरचना के संचालन पर प्रतिवर्ष होने वाले व्यय का वहन भी संबंधित आवंटिती संचालक द्वारा किया जावेगा ।

12. संरचना की स्थापना एवं संचालन के लिए आवश्यक होने पर आवंटिती संचालक द्वारा एक पक्के पिट एवं केबिन का निर्माण किया जा सकेगा । केबिन की छत का निर्माण ए0 सी0 शीट से ही करना होगा ।

13. आवंटिती संचालक को स्थापित की गई संरचना के संचालन हेतु प्रावधानों के अन्तर्गत अपेक्षित लाईसेंस लेना अनिवार्य होगा।

14. आवंटिती संचालक द्वारा आवंटित भूमि के किराये का भुगतान प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में अनिवार्य रूप से मंडी समिति को अग्रिम करना होगा । नियत अवधि में किराया राशि जमा नहीं करने पर मासिक किराये का 1/30 भाग राशि प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी अधिरोपित की जावेगी ।

15. संरचना की प्रीमियम की राशि संबंधित आवंटिती संचालक द्वारा एक मुश्त प्रतिवर्ष मंडी समिति में जमा करानी होगी। प्रत्येक पांच वर्ष पश्चात् मूल प्रीमियम राशि में 10% की वृद्धि मंडी समिति द्वारा की जावेगी । निष्पादित अनुबंध की दिनांक से सात दिवस के अन्दर प्रीमियम राशि जमा नहीं करने पर वार्षिक प्रीमियम राशि के 1/2% प्रति सप्ताह अर्थात 1/14% प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी अधिरोपित की जावेगी । छः माह तक निर्धारित प्रीमियम एवं पेनाल्टी राशि संपूर्ण रूप से जमा न करने की स्थिति में आवंटिती संचालक का अनुबंध निरस्त कर उसके द्वारा कण्डिका कमांक–08 अन्तर्गत जमा की गई राशि तथा स्थापित की गई संरचना मंडी समिति द्वारा राजसात कर ली जावेगी तथा उसकी सार्वजनिक नीलामी से उक्त अवशेष राशि वसूल की जावेगी । नीलामी में प्राप्त अधिक राशि संबंधित को लौटाई जावेगी । यदि राशि कम पड़ती है तो आर.आर.सी. के तहत वसूली की कार्यवाही की जावेगी । नियत अवधि में आवंटिती संचालक से अनिवार्य रूप से प्रीमियम की बसूली मंडी समिति द्वारा की जावेगी, इसके लिये मंडी सचिव पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगें ।

16. आवंटिती की कार्य प्रणाली का निरीक्षण/जांच, शासन/मंडी बोर्ड/मंडी समिति के अधिकारियों द्वारा कभी भी किया जा सकेगा, जिसमें संबंधित को पूर्ण सहयोग देना होगा ।

17. आवंटिती संचालक पर कान्ट्रेक्ट एक्ट, मण्डी अधिनियम, उपविधि के प्रावधानों के साथ–साथ समय–समय पर शासन/वरिष्ठालय द्वारा जारी पत्र/परिपत्र/संशोधन पत्र /निर्देश, बंधनकारी होंगे, जिसका पालन संबंधित द्वारा किया जाना आवश्यक होगा ।

18. संरचना के संचालन के दौरान कोई तकनीकी खराबी आती है तो उसे आवंटिती संचालक द्वारा अविलंब ठीक कराना होगा तथा मण्डी समिति को अवगत कराया जावेगा।

19. संरचना की स्थापना एवं संचालन हेतु आवंटित भूमि के किराये नामे की अवधि ..... होगी ।

20. आवंटिती संचालक को संरचना की स्थापना के लिए भूमि के आवंटन दिनांक से निर्धारित ..... के अंदर संरचना स्थापित कर कार्यशील करना होगा अन्यथा विलंब की स्थिति में संबंधित पर वार्षिक प्रीमियम राशि के 1/2% प्रति सप्ताह के मान से पेनाल्टी अधिरोपित की जावेगी । अन्य सभी प्रयोजनों की पूर्ति के लिये समय की गणना आवंटन के दिनांक से संरचना की स्थापना हेतु निर्धारित अवधि के बाद से की जावेगी । आगामी दी गई अवधि तक यदि पेनाल्टी राशि सम्पूर्ण रूप से जमा करने के उपरान्त भी आवंटिती द्वारा संरचना को स्थापित कर कार्यशील नहीं किया जाता तो आवंटिती संचालक का अनुबंध निरस्त की जाकर कण्डिका कमांक–08 के अन्तर्गत जमा राशि राजसात की जावेगी ।

21. यदि आवंटिती द्वारा निर्धारित वार्षिक प्रीमियम सम्पूर्ण अनुबंधित अवधि अर्थात ..... वर्ष प्रावधानित वृद्धियों को गणना में लेते हुए संपूर्ण राशि एक मुश्त जमा कराता है तो उसे निर्धारित किराये में 50% (पचास प्रतिशत) की छूट की पात्रता होगी ।

22. आवंटिती संचालक मंडी प्रांगण में बी.ओ.टी. आधार पर स्थापित संरचना का सफलता पूर्वक संचालित करने की न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि के पश्चात् यदि किन्हीं कारणों से उक्त व्यवस्था में निरन्तर संचालित करने का इच्छुक नहीं हो अथवा असमर्थ हो तो वह इस व्यवस्था को किसी अन्य सक्षम व्यक्ति अथवा फर्म को हस्तांतरित कर सकता है । इसके लिये उसे पूर्ण प्रस्ताव मंडी समिति को प्रस्तुत करना होगा, जिसका परीक्षण एवं निर्णय परिपत्र की कंडिका–8 में गठित समिति के कमांक–01, 03, 04 एवं 05 में उल्लेखित सदस्यों द्वारा कर अभिमत दिया जावेगा। उक्त अभिमत पर मंडी समिति कार्यवाही कर सकेगी । अन्तरण मान्य होने पर पूर्व आवंटिती संचालक द्वारा परिपत्र की कण्डिका कमांक–07 के तहत निर्धारित जमा कराई गई राशि मंडी समिति द्वारा राजसात कर ली जावेगी तथा नवीन आवंटिती संचालक को उपरोक्तानुसार ही राशि की एफ.डी.आर. के रूप में सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति के नाम से पृथक से जमा करना होगी तथा नवीन अनुबंध निष्पादित करना होगा। तीन वर्ष की अवधि का बंधन आवंटिती संचालक की अकस्मात मृत्यु अथवा स्थाई अपंगता पर लागू नहीं होगा अर्थात ऐसी स्थिति में शेष प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये उसी समय अन्तरण किया जा सकेगा।उपरोक्त के अन्तर्गत की जानेवाली कार्यवाही में जिस व्यक्ति/फर्म इत्यादि को कार्य अंतरण होगा उसकी अवधि पूर्व अनुबंध की शेष अवधि रहेगी।

23. उपरोक्तता के आधार पर सफलता पूर्वक अन्तरण की कार्यवाही के निष्पादन के पाश्चात् पूर्व आवंटिती संचालक को उसके द्वारा परिपत्र की कण्डिका कमांक–12 अनुसार जमा की गई राशि वापिस की जावेगी, परन्तु जब तक द्वितीय अनुबंधकर्ता द्वारा उतनी ही राशि जमा नही की जावेगी तब तक प्रथम अनुबंधकर्ता की उक्त राशि विमुक्त नही की जावेगी।

24. आवंटन की कार्यवाही में विहित एवं पारदर्शी प्रकिया का पालन नही किये जाने पर अथवा नियम विरूद्व आवंटन होने पर प्रबंध संचालक, मण्डी बोर्ड स्वप्रेरणा से या प्राप्त शिकायत के आधार पर जांच करवाकर तथा आवंटिती संचालक एवं मण्डी के सचिव को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के उपरान्त निर्देश/आदेश जारी करने हेतु प्राधिकृत होगें और प्रबंध संचालक द्वारा जारी निर्देश/आदेश उभय पक्षों पर बंधनदारी होगा।

25. बी.ओ.टी. के आधार पर संरचना की स्थापना एवं संचालन के कार्य के लिए निष्पादित अनुबंध की किसी भी शर्त का आवंटिती संचालक द्वारा लगातार तीन बार तक उल्लंघन किये जाने की स्थिति में उक्त ठेके को सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति लिखित सूचना देकर निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा, परन्तु ऐसे निरस्त आदेश पारित किये जाने के पूर्व आवंटिती संचालक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जावेगा।

26. विवाद की स्थिति में प्रकरण के निराकरण हेतु मध्यस्थ (Arbitrator) के रूप में प्रबंध संचालक, म0 प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल होंगे, जिनका विनिश्चय अंतिम होगा तथा उभय पक्षों पर बंधनकारी होगा ।

27. न्यायालयीन वाद–विवाद की स्थिति में मण्डी समिति द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में न्यायालयीन क्षेत्र संबंधित मण्डी समिति का जिला न्यायालय तथा मण्डी बोर्ड द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में न्यायालयीन क्षेत्र जिला न्यायालय भोपाल रहेगा।

सचिव
कृषि उपज मंडी समिति
.....जिला.....

भारसाधक अधिकारी/अध्यक्ष
कृषि उपज मंडी समिति
.....जिला.....

निविदाकर्ता व्यक्ति /फर्म/संस्था/सहकारी संस्था के हस्ताक्षर.....

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्रमांक / बी-7 / 2 / तौ.का. / 14 / 2627

भोपाल,दिनांक 14/12/2015

परिपत्र

विषय-- प्रदेश की मंडी समितियों में निजी व्यक्तियों / संस्थाओं द्वारा स्वयं के व्यय पर बिल्ट, आपरेट एंड ट्रांसफर (बी.ओ.टी) आधार पर तौल-कांटे की स्थापना एव संचालन करने बावत् नवीन दिशा निर्देश ।

प्रदेश की मंडी समितियों के प्रांगण मे आने वाली कृषि उपज की तौल बी.ओ.टी. के आधार पर स्थापित एवं संचालित तौल कांटों से कराये जाने की प्रकिया के संबंध में पूर्व में दिशा निर्देश बोर्ड के पत्र क्रमांक / बी-7 / 2 / तौ0कांटा / 14 / 204 भोपाल, दिनांक 15.6.2010 तथा पत्र क्र0 बी-7 / 2 / तौ0कांटा / 14 / 324 भोपाल, दिनांक 2.11.2011 द्वारा जारी किये गये थे । बी.ओ.टी. पर स्थापित तौल कांटों से तौल कराये जाने की व्यवस्थाओ के संबंध मे प्रतिवेदित व्यवहारिक एवं प्रशासनिक कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए उल्लेखित निर्देशों को अतिक्रमित करते हुये नवीन निर्देश एवं अनुज्ञप्ति तथा करार के निबन्धन की एकजाई शर्ते म0प्र0 कृषि उपज मण्डी (भूमि एवं संरचना का आवंटन) नियम-2009 के नियम-20 (1) (एक) में प्रदत्त अधिकार अन्तर्गत निम्नानुसार अनुमोदित की जाती है, जिसके अन्तर्गत मण्डी / उपमण्डी प्रांगणों में बी0ओ0टी0 तौल-कांटों की स्थापना की कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी :-

1. मंडी समिति के प्रांगण में आने वाली कृषि उपज का ऑकलन कर बी.ओ.टी. पर तौल कांटो की स्थापना की आवश्यकता / औचित्य का निर्धारण किया जावेगा तथा आशय का प्रस्ताव मंडी समिति अपने नियमित सम्मेलन में पारित करेगी ।

2. मंडी समिति बी.ओ.टी पर लगाये जाने वाले कांटो की स्थापना हेतु मंडी में उपलब्ध स्थानों में से ऐसे स्थान का चयन किया जावेगा, जहाँ प्रांगण में आने वाले वाहनों का आवागमन सुगमता से हो सके तथा मंडी समिति के अन्य कार्य प्रभावित न हों । मंडी समिति कंडिका-1 में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्ताव में स्थान का चयन / चिन्हांकन का विवरण भी प्रस्तुत करेगी । उक्त प्रयोजन के लिए यदि स्थान चिन्हित न हो तो समिति लेआउट में तदानुसार संशोधन भी सुनिश्चित करेगी ।

3. तौल कांटा स्थापित करने हेतु भू-खण्ड का आवंटन किराये पर किया जावेगा तथा आवंटन की अधिकतम अवधि 20 वर्ष होगी । आवंटित किए जाने वाले भू-खण्ड का आकार 15X10 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होगा ।

4. आवंटित किये जाने वाले भू-खण्ड का किराया स्थानीय कलेक्टर द्वारा निर्धारित किया जावेगा। उक्त भूमि के किराये में 10% (दस प्रतिशत) की वृद्धि प्रति वर्ष मंडी समिति द्वारा की जावेगी ।

5. परिपत्र के निर्देश अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित कर निविदा विज्ञप्ति का प्रकाशन निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप एक राज्य स्तरीय प्रमुख समाचार पत्र तथा एक स्थानीय समाचार पत्र, जिसका प्रसार सर्वाधिक हो, में ही किया जावेगा तथा निविदा प्रपत्र की कीमत राशि रू.1000 / - होगी ।

C1-38--21

6. प्राप्त निविदाओं को खोलने की कार्यवाही निम्नानुसार गठित समिति द्वारा की जावेगी :–

1. अध्यक्ष, मंडी समिति.
2. कलेक्टर द्वारा नामांकित अधिकारी.
3. संयुक्त संचालक/उपसंचालक, आंचलिक कार्यालय अथवा उनके प्रतिनिधि.
4. आंचलिक कार्यालय के कार्यपालन यंत्री अथवा उनके प्रतिनिधि के रूप में सहायक यंत्री.
5. मंडी समिति के निर्वाचित 2 सदस्य, जिसमें एक महिला हो.
6. निर्वाचित व्यापारी सदस्य.
7. सचिव, मंडी समिति – ये संयोजक सदस्य होंगे ।

सामान्यतः उक्त समिति प्राप्त निविदाओं का परीक्षण करेगी। बैठक में अध्यक्ष मण्डी समिति, कलेक्टर द्वारा नामांकित अधिकारी, संयुक्त संचालक/उप संचालक अथवा उनके प्रतिनिधि तथा समिति में नामांकित मण्डी समिति के निर्वाचित सदस्यों में से कम से कम एक सदस्य की उपस्थिति सुनिश्चित होने पर ही सचिव, मण्डी समिति द्वारा गठित समिति की बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की जा सकेगी। समिति द्वारा सभी अर्हताएँ पूर्ण करने वाले निविदाकारों में प्रीमियम की अधिकतम दर देने वाले निविदा के निर्धारण हेतु तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत कर अपनी अनुशंसा करेगी । निविदा में निविदा की दर वार्षिक प्रीमियम के आधार पर ली जायेगी। समिति की अनुशंसा अनुसार अधिकतम प्रीमियम का आफर देने वाले निविदाकार की निविदा, मंडी समिति द्वारा अनुमोदित की जावेगी एवं कार्यादेश दिये जाकर निर्धारित प्रपत्र अनुसार अनुबंध निष्पादित किया जावेगा, जिसमें–

1. अनुबंध की अवधि 20 वर्ष के लिए प्रभावशील होने से अनुबंध भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची 1–क के अनुसार निर्धारित दर से स्टाम्पित होना अनिवार्य रहेगी। भू–खण्ड के बाजार मूल्य का निर्धारण संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा जारी बाजार मूल्य निर्देशिका पर आधारित रहेगा।

2. निष्पादित किये जाने वाला अनुबंध में भूमि का स्पष्ट विवरण एवं चतुर्सीमाए उल्लेखित की जाना तथा अनुबंध को नोटराईज्ड/पंजीयत कराया जाना अनिवार्य रहेगा।

उपरोक्त में व्यय होने वाली सम्पूर्ण राशि आवंटिती द्वारा व्यय की जावेगी। अनुमोदित निविदा प्रपत्र, निविदा आमंत्रण सूचना तथा निविदा की शर्तो एवं अनुबंध का प्रारूप परिपत्र के साथ संलग्न है।

7. बी.ओ.टी आधार पर तौल कांटा लगाने के लिये व्यक्ति/फर्म/संस्था/सहकारी संस्थाए पात्र होंगी तथा सफल निविदाकार को "तौल कांटा संचालक" कहा जावेगा ।

8. ऐसी स्थिति में जहाँ मंडी समिति में पूर्व से बी.ओ.टी के आधार पर तौल कांटा स्थापित है एवं मंडी समिति में आने वाली कृषि उपज की तौल सुचारू रूप से इस कांटे पर नहीं हो सकने के कारण एक अतिरिक्त तौल कांटा स्थापित किया जाना हो, तो अतिरिक्त तौल कांटा लगाने के लिए निविदा के माध्यम से वही प्रकिया अपनायी जायेगी, जो नवीन तौल कांटा लगाये जाने के संबंध में निर्धारित की गई है । निविदा की प्रकिया में पूर्व स्थापित तौल कांटा संचालक भी भाग ले सकेगे ।

9. बी.ओ.टी. पद्धति पर स्थापित किये जाने वाले तौल कांटे के संचालन की अधिकतमअवधि समाप्त होने के पश्चात् तौल कांटे तथा इसके संचालन के लिये निर्मित की गई समस्त संरचनाएँ यथावत मंडी समिति को हस्तांतरित की जावेगी । मंडी समिति इस व्यवस्था के हस्तांतरण हेतु किसी प्रकार की कोई राशि का भुगतान नहीं करेगी तथा यह सम्पत्ति मंडी समिति के स्वामित्व की मानी जावेगी । यह व्यवस्था उक्त परिपत्र के जारी होने के पश्चात् लगाये जाने वाले बी.ओ.टी. तौल कांटों पर ही लागू होगी।

10. तौल–कांटा स्थापना हेतु आमंत्रित निविदाओं में निविदाकार द्वारा निविदा के साथ धरोहर राशि रू. 20,000/- (रू. बीस हजार मात्र) सचिव,कृषि उपज मण्डी के नाम पर एफ.डी.आर. के रूप में जमा की जावेगी । (स्थानीय परिस्थिति के आधार पर मण्डी समिति द्वारा राशि रू. 1.00 लाख तक अधिकतम धरोहर राशि के रूप में निर्धारित कर सकती है।)

11. निविदा सफल होने पर सफल निविदाकार द्वारा अनुबंध के पूर्व वार्षिक प्रीमियम के 50% राशि अतिरिक्त रूप से जमा की जावेगी।

12. परिपत्र की कण्डिका कमांक–10 अन्तर्गत जमा धरोहर राशि सुरक्षा निधि तथा कमांक–11 अन्तर्गत वार्षिक प्रीमियम के 50% के रूप में जमा की गई राशि रक्षित पेशगी (secured advance) रूप में मण्डी समिति के पास अनुबंध अवधि तक जमा रहेगी।

13. तौल कांटा संचालक मंडी प्रांगण में बी.ओ.टी. आधार पर तौल कांटा स्थापित एवं सफलता पूर्वक संचालित करने की न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि के पश्चात् यदि किन्हीं कारणों से उक्त व्यवस्था में निरन्तर संचालित करने का इच्छुक नहीं हो अथवा असमर्थ हो तो वह इस व्यवस्था को किसी अन्य सक्षम व्यक्ति अथवा फर्म को हस्तांतरित कर सकता है । इसके लिये उसे पूर्ण प्रस्ताव मंडी समिति को प्रस्तुत करने होंगे, जिसका परीक्षण एवं निर्णय कंडिका–6 में गठित समिति द्वारा कर, अभिमत दिया जावेगा। उक्त समिति के अभिमत पर मंडी समिति कार्यवाही कर सकेगी । अन्तरण मान्य होने पर पूर्व तौल कांटा संचालक द्वारा परिपत्र की कण्डिका कमांक–10 के तहत निर्धारित जमा कराई गई धरोहर राशि मंडी समिति द्वारा राजसात कर ली जावेगी तथा नवीन तौल कांटा संचालक को उपरोक्तानुसार ही धरोहर राशि की एफ.डी. आर. के रूप में सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति के नाम से पृथक से जमा करना होगी तथा नवीन अनुबंध निष्पादित करना होगा। तीन वर्ष की अवधि का बंधन तौल कांटा संचालक की अकस्मात मृत्यु अथवा स्थाई अपंगता पर लागू नहीं होगा अर्थात ऐसी स्थिति में शेष प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये उसी समय अन्तरण किया जा सकेगा।उपरोक्त के अन्तर्गत की जानेवाली कार्यवाही में जिस व्यक्ति/फर्म इत्यादि को कार्य अंतरण होगा उसकी अवधि पूर्व अनुबंध की शेष अवधि रहेगी।

14. अन्तरण होने की स्थिति में प्रथम अनुबंधकर्त्ता की प्रोमियम राशि की 50% जमा रक्षित पेशगी (secured advance) राशि की वापिस की जायेगी । परन्तु जब तक द्वितीय अनुबंधकर्त्ता द्वारा उतनी ही रक्षित पेशगी (secured advance) राशि जमा नहीं की जायेगी तब तक प्रथम अनुबंधकर्त्ता की उक्त राशि विमुक्त नहीं की जायेगी ।

15. मडी समिति में स्थापित किये जाने वाले बी.ओ.टी. तौल कांटे पर कृषि उपज की तौल के लिये प्रति ट्राला/प्रति ट्रक/प्रति ट्राली/प्रति बैलगाड़ी एवं हाथ ठेला आदि के लिये तुलाई की दरें निविदा जारी करने के पूर्व निर्धारित करना होगी, जो निविदा प्रपत्र का आवश्यक भाग होगा। इन दरों में संशोधन करने के अधिकार मात्र मंडी समिति को ही होंगे । तौल कांटा संचालक इन दरों से अधिक दर किसी भी स्थिति में कृषकों अथवा व्यापारियों से वसूल नहीं करेगा । इसका उल्लंघन करते पाये जाने पर तौल कांटे का अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त करने हेतु मंडी समिति सक्षम रहेगी ।

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य शर्तें निम्नानुसार होगी, जिसका उल्लेख निविदा प्रपत्र में किया जाना अनिवार्य होगा :–

<u>अन्य शर्तें</u> :–

(1) तौल–कांटे की स्थापना का कार्य भारतीय मानक 1436 वर्ष 1991 /9281 वर्ष 1979 एवं अद्यतन संशोधित से निर्धारित मापदण्डों के अनुसार कराया जावेगा । इसका सत्यापन संबंधित कार्यपालन यंत्री, मण्डी बोर्ड, तकनीकी संभाग स्तर से किये जाने के उपरान्त ही उसे चालू कराया जायेगा ।

(2) तौल कांटे की स्थापना एवं रख–रखाव तथा विद्युत आदि का सम्पूर्ण व्यय तौल काटा संचालक द्वारा वहन किया जावेगा । इसी प्रकार तौल–कांटे के संचालन पर प्रतिवर्ष होने वाले व्यय का वहन भी संबंधित तौल कांटा संचालक द्वारा किया जावेगा ।

(3) तौल–कांटे की स्थापना एवं संचालन के लिए तौल कांटा संचालक द्वारा एक पक्के पिट एवं केबिन का निर्माण किया जा सकेगा । केबिन की छत का निर्माण ए0 सी0 शीट से ही करना होगा ।

(4) तौल–कांटे के संचालन हेतु संबंधित तौल कांटा संचालक को मण्डी अधिनियम की धारा 32 के अधीन मंडी समिति से तुलैया की अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी होगी । उपविधि 2000 की कंडिका 24(5) एवं (7) के प्रावधान तौल कांटा संचालक पर लागू रहेंगे ।

(5) तौल–कांटे पर कृषकों की कृषि उपज की तौल ऐच्छिक रहेगी । यदि कृषक स्वेच्छा से कृषि उपज की तौल कराता है तो प्राथमिकता के आधार पर उसकी तौल पहले करना होगी, किन्तु मंडी प्रांगण में व्यापारियों द्वारा क्रय की गई कृषि उपज को प्रांगण से बाहर विक्रय/संग्रहण/प्रसंस्करण हेतु निकालने पर संबधित अभिलेखों में दर्ज किये जाने वाले वास्तविक वजन का सत्यापन बी.ओ.टी./अन्य बड़े तौल कांटे से किया जाना अनिवार्य होगा ।

(6) तौल कांटा संचालक द्वारा तौल--कांटे की स्थापना हेतु आवंटित भूमि के किराये का भुगतान प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में अनिवार्य रूप से मंडी समिति को अग्रिम करना होगा । नियत अवधि में किराया राशि जमा नहीं करने पर मासिक किराये का 1/30 भाग राशि प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी अधिरोपित की जावेगी ।

(7) तौल कांटा संचालक को अपने स्वयं के व्यय पर तौल–कांटे को उपयोग में लाने के पूर्व नाप तौल विभाग के नियमों में यथा निर्धारित समयावधियों पर तौल–कांटे का सत्यापन एवं स्टेम्पिंग, नाप तौल विभाग से मण्डी समिति के सचिव के समक्ष कराया जाना आवश्यक होगा एवं तत्संबंधी प्रमाण–पत्र भी मंडी समिति में जमा करना होगा एवं सत्यापित छायाप्रति तौल–कांटे के केबिन में प्रदर्शित करना आवश्यक होगा ।

(8) तौल–कांटे तक आवागमन हेतु डब्ल्यू0बी0एम0 या डामरीकृत सड़क का निर्माण मंडी समिति द्वारा स्वयं किया जावेगा ।

(9) तौल हेतु संपूर्ण व्यवस्था कम्प्यूट्रीकृत किया जाना अनिवार्य होगा। कम्प्युट्रीकृत रसीद का रिकार्ड मासिक आधार पर तौल–कांटा संचालक द्वारा संधारित किया जावेगा, जो कि बोर्ड/मण्डी समिति के अधिकारियों द्वारा मांगने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(10) तौल–कांटा प्रीमियम की राशि संबंधित तौल–कांटा संचालक द्वारा एक मुश्त प्रतिवर्ष मंडी समिति में जमा करानी होगी। प्रत्येक पांच वर्ष पश्चात् मूल प्रीमियम राशि में 10% की वृद्धि मंडी समिति द्वारा की जावेगी । निष्पादित अनुबंध की दिनांक से सात दिवस के अन्दर प्रीमियम राशि जमा नहीं करने पर वार्षिक प्रीमियम राशि के 1/2% प्रति सप्ताह अर्थात 1/14% प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी अधिरोपित की जावेगी । छः माह तक निर्धारित प्रीमियम एवं पेनाल्टी राशि संपूर्ण रूप से जमा न करने की स्थिति में तौल कांटा संचालक का अनुबंध निरस्त कर सुरक्षा निधि व उसके द्वारा बनाये गये कक्ष, तौल कांटा आदि संरचनायें मंडी समिति द्वारा राजसात कर ली जावेगी तथा उसकी सार्वजनिक नीलामी से उक्त अवशेष राशि वसूल की जावेगी । नीलामी में प्राप्त अधिक राशि संबंधित को लौटाई जावेगी । यदि राशि कम पड़ती है तो आर. आर.सी. के तहत वसूली की कार्यवाही की जावेगी । नियत अवधि में तौलकांटा संचालक से अनिवार्य रूप से प्रीमियम की बसूली मंडी समिति द्वारा की जावेगी, इसके लिये मंडी सचिव पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगें ।

(11) तौल–कांटे की कार्य प्रणाली का निरीक्षण/जांच, शासन/मंडी बोर्ड/मंडी समिति के अधिकारियों द्वारा कभी भी किया जा सकेगा, जिसमें संबंधित तौल कांटा संचालक द्वारा पूर्ण सहयोग देना होगा ।

(12) तौलकांटा संचालक पर कान्ट्रेक्ट एक्ट, मण्डी अधिनियम, उपविधि के प्रावधानों के साथ–साथ समय–समय पर शासन/वरिष्ठालय द्वारा जारी पत्र/परिपत्र/संशोधन पत्र /निर्देश, तौल–कांटा संचालक पर बंधनकारी होंगे, जिसका पालन संबंधित द्वारा किया जाना आवश्यक होगा ।

(13) तौल–कांटे में संचालन के दौरान कोई तकनीकी खराबी आती है तो उसे अविलंब ठीक करना होगा तथा नाप–तौल निरीक्षक से प्रमाण पत्र प्राप्त कर मण्डी समिति के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। तौल में कोई अन्तर नहीं आवे इस हेतु तौल की शुद्धता की जांच हेतु आधा किलोग्राम से लगाकर 100 किलोग्राम तक के 3–4 मानक वजन/बॉट भी हर समय तौल–कांटे पर उपलब्ध रखना आवश्यक होगा। इन मानक वजन/बॉटों को भी प्रतिवर्ष नाप–तौल निरीक्षक से स्टेपिंग करवाना अनिवार्य होगा।

(14) तौल–कांटे की स्थापना एवं संचालन हेतु आवंटित भूमि के किराये नामे की अवधि 20 वर्ष होगी ।

(15) तौल–कांटा स्थापना हेतु मंडी की श्रेणी अनुसार न्यूनतम वार्षिक प्रीमियम निम्नानुसार रहेगी :–

"क" श्रेणी	राशि रू. 75,000.00
"ख" श्रेणी	राशि रू 50,000.00
"ग" श्रेणी	राशि रू. 35,000.00
"घ" श्रेणी	राशि रू. 25,000.00
उपमण्डी हेतु	राशि रू. 20,000.00

किन्तु कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा आवक के आकडों के आधार पर तथा व्यापारियों द्वारा ली जाने वाली अनुज्ञा में दर्शाये गये वाहनों की संख्या के आधार पर मण्डी के लिए न्यूनतम प्रिमियम निर्धारित करेगी, जो उपर वर्णित न्यूनतम वार्षिक प्रिमियम राशि से कम नही होगी। इस कार्य के लिए मण्डी स्तर पर निम्नानुसार समिति गठित की जाती है:–

1. संयुक्त संचालक/उप संचालक, मण्डी बोर्ड आंचलिक कार्यालय।
2. कार्यपालन यंत्री संबंधित तकनीकी संभागीय कार्यालय।
3. अध्यक्ष, कृषि उपज मण्डी समिति।
4. सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति (ये संयोजक सदस्य होगें)
5. मण्डी समिति का व्यापारी सदस्य

(16) निविदा आमंत्रण में निविदायें एक वर्ष के परिपत्र के कण्डिका क्र. 15 अनुसार निर्धारित प्रीमियम को अर्थात उपरोक्त राशि को Base Price मानकर आमंत्रित की जावेगी तथा अधिकतम वार्षिक प्रीमियम राशि के प्रकरण को स्वीकृत किया जावेगा।

(17) तौल कांटा संचालक को तौल कांटा आवंटन दिनांक से तीन माह के अंदर स्थापित कर कार्यशील करना होगा अन्यथा विलंब की स्थिति में संबंधित पर वार्षिक प्रीमियम राशि के 1/2% प्रति सप्ताह के मान से पेनाल्टी अधिरोपित की जावेगी । अन्य सभी प्रयोजनों की पूर्ति के लिये समय की गणना तौल कांटा आवंटन के दिनांक से 03 (तीन) माह बाद से की जावेगी । आगामी तीन माह तक यदि पेनाल्टी राशि सम्पूर्ण रूप से जमा करने के उपरान्त भी तौल कांटा प्रारम्भ नहीं किया गया तो तौल कांटा संचालक का अनुबंध निरस्त किया जावेगा एवं धरोहर राशि राजसात की जावेगी ।

(18) अगर कोई तौल–कांटा संचालक तौल कांटे हेतु निर्धारित वार्षिक प्रीमियम सम्पूर्ण निविदा अवधि अर्थात 20 वर्ष प्रावधानित वृद्धियों को गणना में लेते हुए संपूर्ण राशि एक मुश्त जमा कराता है तो उसे निर्धारित किराये में 50% (पचास प्रतिशत) की छूट की पात्रता होगी ।

(19) मण्डी समिति यदि 10 मे0टन क्षमता का इलेक्ट्रानिक तौल–कांटा स्थापित कराने के पश्चात् आवश्यकता के आधार पर इससे अधिक की क्षमता का अतिरिक्त तौल–कांटा स्थापित कराती है तो पूर्व स्थापित 10 मे0टन क्षमता के तौल–कांटे में कृषकों द्वारा ट्रैक्टर ट्राली में एकल जिन्स मण्डी में विक्रय हेतु लाये जाने पर उसकी निलामी के पश्चात् संबंधित कृषक एवं व्यापारी की उपस्थिति में पहले भरी हुई ट्राली की तौल कराई जावेगी एवं व्यापारी द्वारा इसे अपने गोदाम पर रिक्त कराये जाने के बाद खाली ट्राली की तौल भी इसी तौल–कांटे पर कराई जावेगी। उपरोक्तानुसार दोनों तौल के अन्तर को कृषि उपज का बजन माना जावेगा।

(20) बी.ओ.टी. आधार पर स्थापित कराये गये तौल-कांटे की क्षमता को दोनों पक्षों की सहमति से यदि आवश्यकतानुसार परिवर्तित करना हो तो इस के लिए संबंधित कार्यपालन यंत्री तकनीकी संभाग, सचिव कृषि उपज मण्डी समिति एवं लेखापाल कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा संयुक्त रूप से निर्णय लिया जाकर तौल–कांटे की क्षमता परिवर्तन की कार्यवाही की जा सकेगी, जिसमें सम्पूर्ण व्यय आवंटिती तौल–कांटा संचालक द्वारा वहन किया जावेगा।

(21) तौल–कांटा आवंटन में विहित एवं पारदर्शी प्रक्रिया का पालन नही किये जाने पर अथवा नियम विरूद्व आवंटन होने पर प्रबध संचालक, मण्डी बोर्ड स्वप्रेरणा से या प्राप्त शिकायत के आधार पर जांच करवाकर तथा तौल–कांटा संचालक एवं मण्डी के सचिव को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के उपरान्त निर्देश/आदेश जारी करने हेतु प्राधिकृत होगे और प्रबंध संचालक द्वारा जारी निर्देश/आदेश उभय पक्षों पर बंधनदारी होगा।

(22) बी.ओ.टी. के आधार पर तौल–कांटों की स्थापना एवं संचालन के कार्य के लिए निष्पादित अनुबंध की किसी भी शर्त का आवंटिती तौल–कांटा संचालन द्वारा उल्लंघन किये जाने की स्थिति में उक्त ठेके को सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति लिखित सूचना देकर निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा, परन्तु ऐसे निरस्त आदेश पारित किये जाने के पूर्व तौल–कांटा संचालक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जावेगा।

(23) विवाद की स्थिति में प्रकरण के निराकरण हेतु मध्यस्थ (Arbitrator) के रूप में प्रबंध संचालक, म0 प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल होंगे, जिनका विनिश्चय अंतिम होगा तथा उभय पक्षो पर बंधनकारी होगा ।

(24) न्यायालयीन वाद–विवाद की स्थिति में मण्डी समिति द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में न्यायालयीन क्षेत्र संबंधित मण्डी समिति का जिला न्यायालय तथा मण्डी बोर्ड द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में न्यायालयीन क्षेत्र जिला न्यायालय भोपाल रहेगा।

संलग्नः– यथोपरि।

(अरूण पाण्डेय)
प्रबंध संचालक
म0प्र0. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक / बी–7 / 2 / तौ.का. / 14 / 2628 भोपाल,दिनांक 14/12/2015

प्रतिलिपि–

1. विशेष सहायक, माननीय कृषि मंत्री एवं अध्यक्ष, मंडी बोर्ड, भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल ।
3. कलेक्टर, जिला–..... ।
4. अपर संचालक, (समस्त) मंडी बोर्ड, मुख्यालय भोपाल ।
5. अपर संचालक (समन्वय) मुख्यालय भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि संयुक्त संचालक / उप संचालक, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालयों की मासिक समीक्षा बैठक के एजेण्डा में बी0ओ0टी0 तौल–कांटों की स्थापना के विषय को सम्मिलित करें।
6. मुख्य अभियंता, मंडी बोर्ड, मुख्यालय भोपाल ।
7. अधीक्षण यंत्री / कार्यपालन यंत्री / निर्माण शाखा मंडी बोर्ड, मुख्यालय भोपाल ।
8. संयुक्त संचालक, (समस्त) मंडी बोर्ड, मुख्यालय भोपाल ।
9. उप सचालक, (समस्त)मंडी बोर्ड, मुख्यालय भोपाल ।
10. संयुक्त संचालक / उप संचालक, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय, (समस्त) की ओर भेजते हुये निर्देशित किया जाता है कि मण्डी समितियों में बी0ओ0टी0 तौल–कांटे की स्थापना के विषय को उनके स्तर पर की जाने वाली मासिक समीक्षा के निर्धारित एजेण्डा में सम्मिलित करें।
11. कार्यपालन यंत्री, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, तकनीकी संभाग, समस्त की ओर पालनार्थ
12. सचिव, कृषि उपज मंडी समिति, (समस्त) ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

"निविदा आमंत्रण सूचना". (समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु)

कृषि उपज मण्डी समिति ..... द्वारा ई–टेण्डरिंग के माध्यम से स्वयं के व्यय पर बिल्ट आपरेट एण्ड ट्रॉसफर (बी.ओ.टी) आधार पर तौलकांटा स्थापना एवं संचालन हेतु वार्षिक प्रीमियम के आधार पर दिनांक..... को ..... तक ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी ऑनलाईन पोर्टल www.mpeproc.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है।

क्र0	इलेक्ट्रानिक तौलकांटा स्थापना का स्थान	तौल कांटे की क्षमता	न्यूनतम वार्षिक प्रीमियम (राशि रू.)	धरोहर राशि

शर्तें :–

1. निविदा के सभी संशोधन ऑनलाईन पोर्टल www.mpeproc.gov.in पर जारी किए जायेगें।

2. निविदा में भाग लेने वाले इच्छूक निविदाकारों को www.mpeproc.gov.in पर पंजीयन कराना होगा।

सचिव
कृषि उपज मंडी समिति
.....जिला.....

भारसाधक अधिकारी/अध्यक्ष
कृषि उपज मंडी समिति
.....जिला.....

"निविदा आमंत्रण सूचना"

कृषि उपज. मंण्डी समिति ..... द्वारा ई–टेण्डरिंग के माध्यम से स्वयं के व्यय पर बिल्ट आपरेट एण्ड. ट्रासफर (बी.ओ.टी) आधार पर तौलकांटा स्थापना एवं संचालन हेतु वार्षिक प्रीमियम के आधार पर दिनांक..... को ..... तक ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी ऑनलाईन पोर्टल www.mpeproc.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है।

क्रं0	इलेक्ट्रानिक तौलकांटा स्थापना का स्थान	तौल कांटे की क्षमता	न्यूनतम वार्षिक प्रीमियम (राशि रू.)	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का कीमत

शर्तें :–

1. स्थापित कराये जाने वाले बी.ओ.टी. तौलकांट हेतु तुलाई की दरें निम्नानुसार रहेगी:–

   1. प्रति ट्राला.....
   2. प्रति ट्रक .....
   3. प्रति ट्राली .....
   4. प्रति बैलगाड़ी .....
   5. हाथ ठेला .....

2. निविदा के सभी संशोधन ऑनलाईन पोर्टल www.mpeproc.gov.in पर जारी किए जायेगें।

3. निविदा में भाग लेने वाले इच्छूक निविदाकारो को www.mpeproc.gov.in पर पंजीयन कराना होगा।

4. इस ई–टेण्डरिंग में भाग लेने वाले निविदाकारों को धरोहर राशि रू..... का राष्ट्रीय/शेड्यूल बैंक को एफ.डी.आर. जो सचिव कृषि उपज मण्डी समिति के नाम से देय की मूल प्रति बिड के अन्य दस्तावेजों के साथ दिनांक..... तक सिर्फ पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा प्रस्तुत करना है।

5. ऑनलाईन निविदा प्रपत्र कय करने की अंतिम तिथि..... है।

6. नियम व शर्तें निविदा प्रपत्र के अनुसार मान्य होगी।

CE-38---29

7. फर्म / संस्था / सहकारी संस्थायें स्वरूप के ऑनलाईन निविदाकार को निम्नलिखित दस्तावेजों की वैद्य स्वप्रमाणित प्रतियाँ प्रस्तुत करना होगीं।

(अ) Registrations of Firm/ establishment (गुमाश्ता)

(ब) PAN No.

(स) ST Registration

(द) Tax Clearance certificate of previous year

(ई) Affidavit on Rs.100/- stamp stating that documents submitted Physically/ ONLINE are correct & No close relative.

8. व्यक्तिगत निविदाकार द्वारा कमांक--07 में उल्लेखित दस्तावेज सफल निविदाकार होने पर कार्य प्रारभ करने के पूर्व मण्डी समिति को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेगा।

9. अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त हुए दस्तावेजों को मान्य नही किया जावेगा। उपरोक्त सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियाँ दिनांक .....तक सिर्फ पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट द्वारा निम्न पते पर प्रस्तुत करें :–

सचिव,

कृषि उपज मण्डी समिति

.....जिला ..... (म0प्र0)

टेण्डर शेड्यूल

(1) निविदा प्रपत्र क्रय करने की दिनांक.....

(2) निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम दिनांक.....

(3) निविदा बिड submission end date----------

(4) वित्तीय ऑफर खोलने की दिनांक एवं समय.....

सचिव
कृषि उपज मंडी समिति
.....जिला.....

भारसाधक अधिकारी / अध्यक्ष
कृषि उपज मंडी समिति
.....जिला.....

कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति, ..., जिला–..... (म.प्र.)

बी.ओ.टी. आधार पर तौल कॉटा स्थापना एवं संचालन का "निविदा प्रपत्र"

परिशिष्ट–"अ"

1. निविदाकर्त्ता व्यक्ति / फर्म का नाम – .....
2. निविदाकर्त्ता व्यक्ति / फर्म का वाणिज्यिक रजिस्ट्रेसन का प्रकार / निर्माता / अधिकृत एजेन्ट / अन्य – .....
3. फर्म का अन्य विवरण व पदाधिकारियों की सूची – .....
4. अन्य जानकारी जो निविदाकर्ता आवश्यक समझे – .....
5. जमा की गयी धरोहर राशि का विवरण – F.D.R. कमांक व बैंक का नाम.....
   दिनांक.....
   राशि रू.....
6. पत्र व्यवहार का पता – .....
   .....
   दूरभाष नंबर..... मो.नं. .....
   ई–मेल आई डी.....

निविदाकर्त्ता फर्म / व्यक्ति के हस्ताक्षर.....
हस्ताक्षरकर्त्ता का नाम.....

कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति, ...; जिला–.................. (म.प्र.)

परिशिष्ट–"ब"

मेरे/हमारे द्वारा निविदा की सभी शर्तों को पढ़कर समझ लिया है। मंडी द्वारा प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण कर लिया है । इसके उपरान्त मेरे/ हमारे द्वारा निम्नानुसार अपना वाणिज्यिक प्रस्ताव दिया जाता है । यदि मंडी समिति बी.ओ.टी आधार पर तौलकॉटा स्थापना हेतु मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत करती है तो मै/हम आवंटन हेतु निर्धारित सभी शर्तों का पालन करेंगे । (संलग्न विस्तृत शर्तें)

(1) इलेक्ट्रानिक तौलकॉटे की क्षमता...

(2) वार्षिक प्रीमियम की राशि अंको में रू..

शब्दों में रू..

(3) प्रस्तावित तौलकॉटे का मेक/ मॉडल ....
(यदि निविदा के समय दिया जाना संभव हो तो)

दिनांक...........................

निविदाकर्त्ता फर्म/व्यक्ति के हस्ताक्षर...

हस्ताक्षरकर्त्ता का नाम.......................................

कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति, ..., जिला-.................... (म.प्र.)

(मुख्य मंडी प्रांगण/उपमंडी प्रांगण.........................)

बी०ओ०टी० आधार पर तौलकॉटा स्थापना की विस्तृत शर्ते

1. तौल कांटा स्थापित करने हेतु भू-खण्ड का आंवटन किराये पर किया जावेगा तथा आवंटन की अधिकतम अवधि 20 वर्ष होगी । आवंटित किये जाने वाले भू-खण्ड का आकार 15x10 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होगा ।

2. आवंटित किये जाने वाले भू-खण्ड का किराया कलेक्टर, ... द्वारा मासिक रू. .... निर्धारित किया गया है । उक्त भूमि के किराये में 10% (दस प्रतिशत) की वृद्धि प्रति वर्ष मंडी समिति द्वारा की जावेगी ।

3. बी.ओ.टी आधार पर तौल कांटा लगाने के लिये व्यक्ति/फर्म/संस्था/सहकारी संस्थाएं पात्र होंगी तथा सफल निविदाकार को "तौल कांटा संचालक" कहा जावेगा ।

4. बी.ओ.टी. पद्धति पर स्थापित किये जाने वाले तौल कांटे के संचालन की अनुबंधित अवधि समाप्त होने के पश्चात् तौल कांटे तथा इसके संचालन के लिये निर्मित की गई समस्त संरचनाएँ यथावत मंडी समिति को हस्तांतरित की जावेगी । मंडी समिति इस व्यवस्था के हस्तांतरण हेतु किसी प्रकार की कोई राशि का भुगतान नहीं करेगी तथा यह सम्पत्ति मंडी समिति के स्वामित्व की मानी जावेगी ।

5. स्वीकृति पत्र जारी करने के पश्चात 15 कार्य दिवस के अन्दर निविदाकार को निर्धारित प्रपत्र पर अनुबंध करना होगा । अनुबंध की अवधि 20 वर्ष के लिए प्रभावशील होने से अनुबंध भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची 1-क के अनुसार निर्धारित दर से स्टाम्पित होना अनिवार्य रहेगी। भू-खण्ड के बाजार मूल्य का निर्धारण संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा जारी बाज़ार मूल्य निर्देशिका पर आधारित रहेगा।निष्पादित किये जाने वाला अनुबंध में भूमि का स्पष्ट विवरण एवं चतुर्सीमाए उल्लेखित की जाना तथा अनुबंध को नोटराईज्ड/पंजीयत कराया जाना अनिवार्य रहेगा। उक्त में व्यय होने वाली सम्पूर्ण राशि आवंटिती द्वारा व्यय की जावेगी।

6. तौल-कांटा स्थापना हेतु आमंत्रित निविदाओं में निविदाकार द्वारा निविदा के साथ धरोहर राशि रू. ....(रू. ....) सचिव कृषि उपज मंडी समिति के नामे राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा शड्यूल बैंक के माध्यम से F.D.R. के रूप में जमा की जावेगी।

7. निविदा सफल होने पर सफल निविदाकार द्वारा अनुबंध के पूर्व वार्षिक प्रीमियत के 50 प्रतिशत राशि अतिरिक्त रूप से जमा की जावेगी।

8. परिपत्र की कण्डिका कमांक-10 अन्तर्गत जमा धरोहर राशि सुरक्षा निधि तथा कमांक-11 अन्तर्गत वार्षिक प्रीमियम के 50% के रूप में जमा की गई राशि रक्षित पेशगी (secured advance) रूप में मण्डी समिति के पास अनुबंध अवधि तक जमा रहेगी।

8. मंडी समिति में स्थापित किये जाने वाले बी.ओ.टी. तौल कांटे पर कृषि उपज की तौल के लिये प्रति ट्राला/प्रति ट्रक/प्रति ट्राली/प्रति बैलगाड़ी एवं हाथ ठेला आदि के लिये तुलाई की दरें मंडी समिति द्वारा निर्धारित की जावेगी । इन दरों में संशोधन करने के अधिकार मात्र मंडी समिति को ही होंगे । तौल कांटा संचालक इन दरों से अधिक दर किसी भी स्थिति में कृषकों अथवा व्यापारियों से वसूल नहीं करेगा । इसका उल्लंघन करते पाये जाने पर तौल कांटे का अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त करने हेतु मंडी समिति सक्षम रहेगी ।

9. फर्म/संस्था/सहकारी संस्थायें स्वरूप के निविदाकारों के लिए आयकर विभाग का रजिस्ट्रेशन (PAN) तथा सर्विस टैक्स का रजिस्ट्रेशन एवं विगत वर्ष का टैक्स क्लीयरेंस प्रमाण-पत्र" संलग्न करना अनिवार्य होगा । व्यक्तिगत निविदाकार यदि सफल निविदाकार होता है तो उसे कार्य प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार अभिलेख मण्डी समिति को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रतिकूल स्थिति में उसके धरोहर राशि एवं अनुबंध के पूर्व वार्षिक

CE-38---33

प्रिमियम की जमा राशि राजसात की जाकर पुनः नियमानुसार निविदा की कार्यवाही करने के लिए मण्डी समिति सक्षम रहेगी।

10. तौल–कांटे की स्थापना का कार्य भारतीय मानक 1436 वर्ष 1991/9281 वर्ष 1979 एवं अद्यतन संशोधित से निर्धारित मापदण्डों के अनुसार कराया जावेगा । इसका सत्यापन संबंधित कार्यपालन यंत्री, मण्डी बोर्ड, तकनीकी संभाग स्तर से किये जाने के उपरान्त ही उसे चालू कराया जायेगा।

11. तौल कांटे की स्थापना एवं रख–रखाव तथा विद्युत आदि का सम्पूर्ण व्यय तौल कांटा संचालक द्वारा वहन किया जावेगा । इसी प्रकार तौल–कांटे के संचालन पर प्रतिवर्ष होने वाले व्यय का वहन भी संबंधित तौल कांटा संचालक द्वारा किया जावेगा ।

12. तौल–कांटे की स्थापना एवं संचालन के लिए तौल कांटा संचालक द्वारा एक पक्के पिट एवं केबिन का निर्माण किया जा सकेगा । केबिन की छत का निर्माण ए0 सी0 शीट से ही करना होगा ।

13. तौल–कांटे के संचालन हेतु संबंधित तौल कांटा संचालक को मण्डी अधिनियम की धारा 32 के अधीन मंडी समिति से तुलैया की अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी होगी । उपविधि 2000 की कंडिका 24(5) एवं (7) के प्रावधान तौल कांटा संचालक पर लागू रहेंगे ।

14. तौल–कांटे पर कृषकों की कृषि उपज की तौल ऐच्छिक रहेगी । यदि कृषक स्वेच्छा से कृषि उपज की तौल कराता है तो प्राथमिकता के आधार पर उसकी तौल पहले करना होगी, किन्तु मंडी प्रांगण में व्यापारियों द्वारा क्रय की गई कृषि उपज को प्रांगण से बाहर विक्रय/संग्रहण/प्रसंस्करण हेतु निकालने पर संबंधित अभिलेखों में दर्ज किये जाने वाले वास्तविक वजन का सत्यापन बी.ओ.टी./अन्य बड़े तौल कांटे से किया जाना अनिवार्य होगा ।

15. तौल कांटा संचालक द्वारा तौल–कांटे की स्थापना हेतु आवंटित भूमि के किराये का भुगतान प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह तक अनिवार्य रूप से मंडी समिति को अग्रिम करना होगा । नियत तिथि तक किराया राशि जमा नहीं करने पर मासिक किराये का 1/30 भाग राशि प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी अधिरोपित की जावेगी ।

16. तौल कांटा संचालक को अपने स्वयं के व्यय पर तौल–कांटे को उपयोग में लाने के पूर्व नाप तौल विभाग के नियमों में यथा निर्धारित समयावधियों पर तौल–कांटे का सत्यापन एवं स्टेम्पिंग, नांप तौल विभाग से मण्डी समिति के सचिव के समक्ष कराया जाना आवश्यक होगा एवं तत्संबंधी प्रमाण–पत्र भी मंडी समिति में जमा करना होगा एवं सत्यापित छायाप्रति तौल–कांटे के केबिन में प्रदर्शित करना आवश्यक होगा ।

17. तौल हेतु संपूर्ण व्यवस्था कम्प्यूट्रीकृत किया जाना अनिवार्य होगा। मैकेनीकल तौल–कांटे नहीं लगाये जावेंगे ।

18. तौल–कांटा प्रीमियम की राशि संबंधित तौल–कांटा संचालक द्वारा एक मुश्त प्रतिवर्ष मंडी समिति में जमा करानी होगी। प्रत्येक पांच वर्ष पश्चात् मूल प्रीमियम राशि में 10% की वृद्धि मंडी समिति द्वारा की जावेगी । निष्पादित अनुबंध की दिनांक से सात दिवस के अन्दर प्रीमियम राशि जमा नहीं करने पर वार्षिक प्रीमियम राशि के 1/2% प्रति सप्ताह अर्थात 1/14% प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी अधिरोपित की जावेगी । छः माह तक निर्धारित प्रीमियम एवं पेनाल्टी राशि संपूर्ण रूप से जमा न करने की स्थिति में तौल कांटा संचालक का अनुबंध निरस्त कर सुरक्षा निधि व उसके द्वारा बनाये गये कक्ष, तौल कांटा आदि संरचनायें मंडी समिति द्वारा राजसात कर ली जावेगी तथा उसकी सार्वजनिक नीलामी से उक्त अवशेष राशि वसूल की जावेगी । नीलामी में प्राप्त अधिक राशि संबंधित को लौटाई जावेगी । यदि राशि कम पड़ती है तो आर.आर.सी. के तहत वसूली की कार्यवाही की जावेगी ।

19. तौल–काटे की कार्य प्रणाली का निरीक्षण/जांच, शासन/मंडी बोर्ड/मंडी समिति के अधिकारियों द्वारा कभी भी किया जा सकेगा, जिसमें संबंधित तौल कांटा संचालक द्वारा पूर्ण सहयोग देना होगा ।

20. तौलकांटा संचालक पर कान्ट्रेक्ट एक्ट, मण्डी अधिनियम, उपविधि के प्रावधानों के साथ–साथ समय–समय पर शासन/वरिष्ठालय द्वारा जारी पत्र/परिपत्र/संशोधन पत्र /निर्देश, तौल–कांटा संचालक पर बंधनकारी होंगे, जिसका पालन संबंधित द्वारा किया जाना आवश्यक होगा ।

22. तौल–कांटे में संचालन के दौरान कोई तकनीकी खराबी आती है तो उसे अविलंब ठीक करना होगा तथा नाप–तौल निरीक्षक से प्रमाण पत्र प्राप्त कर मण्डी समिति के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। तौल में कोई अन्तर नहीं आवे इस हेतु तौल की शुद्धता की जांच हेतु आधा किलोग्राम से लगाकर 100 किलोग्राम तक के 3–4 मानक वजन/बॉट भी हर समय तौल–कांटे पर उपलब्ध रखना आवश्यक होगा। इन मानक वजन/बॉटों को भी प्रतिवर्ष नाप–तौल निरीक्षक से स्टेपिंग करवाना अनिवार्य होगा।

22. तौल कांटा संचालक को तौल कांटा आवंटन दिनांक से तीन माह के अंदर स्थापित कर कार्यशील करना होगा अन्यथा विलंब की स्थिति में संबंधित पर वार्षिक प्रीमियम राशि के 1/2% प्रति सप्ताह के मान से पेनाल्टी अधिरोपित की जावेगी । अन्य सभी प्रयोजनों की पूर्ति के लिये समय की गणना तौल कांटा आवंटन के दिनांक से 03 (तीन) माह बाद से की जावेगी। आगामी तीन माह तक यदि पेनाल्टी राशि सम्पूर्ण रूप से जमा करने के उपरान्त भी तौल कांटा प्रारम्भ नहीं किया गया तो तौल कांटा संचालक का अनुबंध निरस्त किया जावेगा एवं धरोहर राशि राजसात की जावेगी ।

23. अगर कोई तौल–कांटा संचालक तौल कांटे हेतु निर्धारित वार्षिक प्रीमियम सम्पूर्ण निविदा अवधि अर्थात 20 वर्ष प्रावधानित वृद्धियों को गणना में लेते हुए संपूर्ण राशि एक मुश्त जमा कराता है तो उसे निर्धारित किराये में 50% (पचास प्रतिशत) की छूट की पात्रता होगी ।

24 तौल कांटा संचालक मंडी प्रांगण में बी.ओ.टी. आधार पर तौल कांटा स्थापित एवं सफलता पूर्वक संचालित करने की न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि के पश्चात् यदि किन्हीं कारणों से उक्त व्यवस्था में निरन्तर संचालित करने का इच्छुक नहीं हो अथवा असमर्थ हो तो वह इस व्यवस्था को किसी अन्य सक्षम व्यक्ति अथवा फर्म को हस्तांतरित कर सकता है । इसके लिये उसे पूर्ण प्रस्ताव मंडी समिति को प्रस्तुत करने होंगे, जिसका परीक्षण एवं निर्णय कंडिका–6 में गठित समिति द्वारा कर, अभिमत दिया जावेगा। उक्त समिति के अभिमत पर मंडी समिति कार्यवाही कर सकेगी । अन्तरण मान्य होने पर पूर्व तौल कांटा संचालक द्वारा परिपत्र की कण्डिका कमांक–10 के तहत निर्धारित जमा कराई गई धरोहर राशि मंडी समिति द्वारा राजसात कर ली जावेगी तथा नवीन तौल कांटा संचालक को उपरोक्तानुसार ही धरोहर राशि की एफ.डी. आर. के रूप में सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति के नाम से पृथक से जमा करना होगी तथा नवीन अनुबंध निष्पादित करना होगा। तीन वर्ष की अवधि का बंधन तौल कांटा संचालक की अकस्मात मृत्यु अथवा स्थाई अपंगता पर लागू नहीं होगा अर्थात ऐसी स्थिति में शेष प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये उसी समय अन्तरण किया जा सकेगा।उपरोक्त के अन्तर्गत की जानेवाली कार्यवाही में जिस व्यक्ति/फर्म इत्यादि को कार्य अंतरण होगा उसकी अवधि पूर्व अनुबंध की शेष अवधि रहेगी।

25. अन्तरण होने की स्थिति में प्रथम अनुबंधकर्त्ता की प्रीमियम राशि की 50% जमा रक्षित पेशगी (secured advance) राशि की वापिस की जायेगी । परन्तु जब तक द्वितीय अनुबंधकर्त्ता द्वारा उतनी ही रक्षित पेशगी (secured advance) राशि जमा नहीं की जायेगी तब तक प्रथम अनुबंधकर्त्ता की उक्त राशि विमुक्त नहीं की जायेगी ।

26. बी.ओ.टी. आधार पर स्थापित कराये गये तौल--कांटे की क्षमता को दोनों पक्षों की सहमति से यदि आवश्यकतानुसार परिवर्तित करना हो तो इस के लिए संबंधित कार्यपालन यंत्री तकनीकी सभाग, सचिव कृषि उपज मण्डी समिति एवं लेखापाल कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा संयुक्त रूप से निर्णय लिया जाकर तौल--कांटे की क्षमता परिवर्तन की कार्यवाही की जा सकेगी, जिसमें सम्पूर्ण व्यय आवंटिती तौल--कांटा संचालक द्वारा वहन किया जावेगा।

27. तौल--कांटा आवंटन में विहित एवं पारदर्शी प्रकिया का पालन नही किये जाने पर अथवा नियम विरूद्ध आवंटन होने पर प्रबंध संचालक, मण्डी बोर्ड स्वप्रेरणा से या प्राप्त शिकायत के आधार पर जांच करवाकर तथा तौल--कांटा संचालक एवं मण्डी के सचिव को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के उपरान्त निर्देश/आदेश जारी करने हेतु प्राधिकृत होगें और प्रबंध संचालक द्वारा जारी निर्देश/आदेश उभय पक्षों पर बंधनदारी होगा।

28. बी.ओ.टी. के आधार पर तौल--कांटों की स्थापना एवं संचालन के कार्य के लिए निष्पादित अनुबंध की किसी भी शर्त का आवंटिती तौल--कांटा संचालन द्वारा उल्लंघन किये जाने की स्थिति में उक्त ठेके को सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति लिखित सूचना देकर निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा, परन्तु ऐसे निरस्त आदेश पारित किये जाने के पूर्व तौल--कांटा संचालक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जावेगा।

29. विवाद की स्थिति में प्रकरण के निराकरण हेतु मध्यस्थ (Arbitrator) के रूप में प्रबंध संचालक, म0 प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल होंगे, जिनका विनिश्चय अंतिम होगा तथा उभय पक्षों पर बंधनकारी होगा ।

30. न्यायालयीन वाद--विवाद की स्थिति में मण्डी समिति द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में न्यायालयीन क्षेत्र संबंधित मण्डी समिति का जिला न्यायालय तथा मण्डी बोर्ड द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में न्यायालयीन क्षेत्र जिला न्यायालय भोपाल रहेगा।

सचिव
कृषि उपज मंडी समिति
.....जिला.....

भारसाधक अधिकारी/अध्यक्ष
कृषि उपज मंडी समिति
.....जिला.....

निविदाकर्ता व्यक्ति /फर्म/संस्था/सहकारी संस्था के हस्ताक्षर.....